

(नियम २६)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

किशनगढ़ (अजमेर)

१. बालचन्द्र पुत्र भूरा जाति भांभी निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राज०  
वगै०

वादीगण

बनाम

१. श्रीमती राजेन्द्र कंवर पत्नि श्री लक्ष्मण जाति राजपूत निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अंराई  
जिला अजमेर राज० वगै०

किस्म मुकदमा -- ६३ रा.का.अधि.


प्रतिवादीगण

नंबर २१/२०१७

ऑन लाईन नंबर २०१७/०००२१

वकील वादीगण श्री हनुमान प्रसाद शर्मा

वकील प्रतिवादीगण .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
08.02.2017	<p>यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने अन्तर्गत धारा ५३ रा०का० अधिनियम के तहत पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक ०३.०३.२०१७ को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      किशनगढ़ (अजमेर)                 </p> <p style="text-align: center;">३/३/१७</p> <p>पत्रावली पेश हुई वकील की उप                      जरी है। १६/५/१७ को वकील किशनगढ़                      कोर्ट द्वारा हुकम देकर पत्रावली का जवाब                      एवं कालाहलनामा पेश करे हेतु हुकम पत्र                      अदालत ५ से ७ गोठियाना तहसील के उपखण्ड                      नही है और ५ से ७ के लेखक एन.प.सि.प.                      कार्यवाही की जाती है पत्रावली वली जवाब                      कालाहलनामा १६/५/१७ है २६.५.१७ को पेश है।</p>	

Handwritten notes in Hindi, including a signature and date 3/3/17.

Handwritten signature and text at the bottom right of the table, including 'उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)'.

8/11/20

पुनश्च! प्राणी काल्पनिक 510 कृषा जाति प्राणी  
 में प्राणीना पत्र कृषा जाति धाय 152 CPC के  
 तहत पेल का नियंत्रण किया कि इस प्राणिक  
 धाय काप में कृषि काल्पनिक दिनांक 8.8.2004  
 को कृषि काल्पनिक तहसील के बिने गले  
 विलायत कृषि प्रसाव कृषा जाति प्राणी  
 कृषि जाति इसने लिपिक (डिप्टी) होने  
 के कारण सेपोथिर डिप्टी काल्पनिक हेतु नियंत्रण  
 किया है कृषा प्राणी का प्राणी पत्र सीमा  
 मिला जाता है सेपोथिर F.D. काल्पनिक तहसील  
 शामिल प्राणिक है/इस प्राणिक हेतु इस शुभार  
 हेतु नम्बर से मय है।

*(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)*

## अन्तिम डिक्री

(आर्डर 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी)  
(civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास नीतू मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 756/2020

1 बालचन्द पुत्र श्री भूरा

2. भैरू लाल पुत्र श्री भूरा

सर्व जाति भाभी सर्व निवासीगण ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राज०

वादीगण

### बनाम

1 श्रीमती राजेन्द्र कंवर पत्नि श्री लक्ष्मण

2 श्रीमती कैलाश कंवर पत्नि श्री कुलदीप सिंह

3 श्रीमती मीनाक्षी कंवर पत्नि श्री गैर सिंह

सर्व जाति राजपूत सर्व निवासीगण ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राज०

4 श्रीमती मंजू पत्नि श्री सत्यनारायण जाति रेगर निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राज०

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अंराई

6 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अंराई जरिये शाखा प्रबन्धक

7 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

दिनांक 08.08.2025

उपस्थित:- 1-हनुमान प्रसाद शर्मा (वकील वादीगण)

2.चालकसिंह वकील प्रतिवादीगण

3.गोविन्द दास पुरोहित प्रतिवादीगण

संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से वकील हनुमान प्रसाद शर्मा द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड न्यायालय अराई में पेश किया तथा बाद जांच बाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई।

वाद में वाद पत्र के में वर्णित कृषि भूमि ग्राम गोठियाना तहसील अराई के खाता संख्या 244 खसरा नं० 156 रकबा 117 बीघा 02 बिस्वा भूमि का का वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी by meets and bounds के आधार पर विधिक विभाजन का निवेदन किया

Wp  
उपखण्ड अधिकारी  
अजमेर

गया। दिनांक 4.6.18 वकील उभयपक्षद्वारा निवेदन किया गया कि कब्जे को प्राथमिकता देते हुए अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी (By Mets And Bounds)के आधार पर बंटवारा कर दिया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 11.10.2019 को तहसीलदार अराई द्वारा प्राथमिक डिक्री व आदेश दिनांक 4.6.2018 की पालना में अप्रार्थीगणों व प्रार्थीगणों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। दिनांक 19.11.2019 को जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा एक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रतिलिपि वादी वकील को दिलवाई गई दिनांक 3.1.2020 को वादी वकील द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। दिनांक 19.7.2024 को को वकील उभयपक्ष की आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दिनांक 8.8.2028 को वकील वादी व प्रतिवादी की अंतिम बहस सुनी गई। आपत्ति प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। वादी द्वारा दिनांक 8.8.2025 को बहस की गई तथा बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर विभाजन कराने की प्रार्थना की गई।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वाद पत्र के पैरा में वर्णित कृषि भूमि ग्राम गोठियाना तहसील अराई के खाता संख्या 244 खसरा नं 156 रकबा 117 बीघा 02 बिस्वा का वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित तहसीलदार अराई की बंटवारा जांच रिपोर्ट अनुसार आपसी सहमति के आधार पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी (By Mets And Bounds)के बंटवारा प्रस्ताव आधार पर वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार अराई को तहरीर जारी हो। तहसीलदार अराई से प्राप्त कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा किया जाता है उक्त बंटवारे में कमीश्नर रिपोर्ट एवम् संलग्न मानचित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग होगा। तहसीलदार अराई द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर वाद अधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है—

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा(है.)	किस्म	लगा न	रंग
1.	मीनाक्षीकंवर पत्नि शेरसिंह हि 7182/23325 केलाश कंवर पत्नि कुलदीपसिंह हि 7178/23325 कौम राजपूत सा0देह खातेदार राहिन केलाश कंवर पत्नि कुलदीपसिंह काहि0 बीओबी शाखा अराई राजेन्द्र कंवर पत्नि लक्ष्मणसिंह, मीनाक्षीकंवर पत्नि शेरसिंह का हि0 आइसीआइसीआई बैंक लि0शाखा किशनगढ	156/2	58-06-05	बं0क्ष. 16-17-10 बं0अव्वल 40-08-15	13.40	लाल
2.	बालचन्द पि0भूरा कोम भांभी सा0देह खातेदार	156/4	25-13-05	बं0दो007.08.15 बं0अव्वल 18.04.10	5.90	पीला
3.	भैरूलाल पि0 भूरा कौम भांभी सा0देह खातेदार	156/4	25-13-05	बं0दो007-08-15 बं0अव्वल18-04-10	5.90	नीला

W/S  
उपखण्ड अधिकारी

4.	मन्जू पत्नि सत्यनारायण कौम रेगर सा0देह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा अराई	156/1	06-19-05	ब0दो0 02-00-00  ब0अब्बल 04-19-05	1.61	हरा
----	--	-------	----------	--	------	-----

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 8/1/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(नीतू श्रेणी)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
अराई (अजमेर)

**अज अदालत उपखण्ड अधिकाारी मुकाम अराई (अजमेर)**

व इजलास नीरु मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 756/2020

- 1 बालचन्द पुत्र श्री मूरु
- 2 मूरु लाल पुत्र श्री मूरु

सर्व जालि मापी सर्व निवासीगण ग्राम गीठियाना तहसील अराई जिला अजमेर राज०

**बनाम**

- 1 श्रीमती राजेन्द्र कंवर पति श्री लक्ष्मण
- 2 श्रीमती कलाशा कंवर पति श्री कुलदीप सिंह
- 3 श्रीमती मीनाक्षी कंवर पति श्री गेर सिंह
- सर्व जालि राजपुत सर्व निवासीगण ग्राम गीठियाना तहसील अराई जिला अजमेर राज०
- 4 श्रीमती मूरु पति श्री सत्यनारायण जालि रंगर निवासी ग्राम गीठियाना तहसील अराई जिला अजमेर राज०

- 5 राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार अराई
- 6 बूक ऑफ बडौदा शाखा अराई जारिये शाखा प्रबन्धक
- 7 स्टेट ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जारिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955**

दिनांक 01.08.2025

- उपस्थित:- 1-हनुमान प्रसाद शर्मा (वकील वादीगण)  
 2-चालकसिंह वकील प्रतिवादीगण  
 3-गीविन्द दास पुरोहित प्रतिवादीगण

सक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड न्यायालय अराई में पेश किया गया वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की जारिये नोटिस तलबी की गई।

वाद में वाद पत्र के में कृषि मूमि कृषि मूमि ग्राम गीठियाना तहसील अराई के खाता संख्या 244 खसरा नं० 156 रकबा 117 बीघा 02 बिस्वा का वादीगण एवं प्रतिवादीगण को संयुक्त खातेदारी मूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित अर्जसार अरखी से अरखी व बूरी से बूरी by meets and bounds पर विधिक विभाजन का निवेदन किया गया।

दिनांक 11.10.2019 को तहसीलदार अराई द्वारा प्राथमिक डिकी व आदेश दिनांक 4.6.2018 की पालना में अप्रार्थीगणों व प्रार्थीगणों की उपस्थिती में बटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। दिनांक 19.11.2019 को जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा एक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रतिरितिष वादी वकील को दिलवाई गई दिनांक 3.1.2020 को वादी वकील द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र का प्रतिवत्तर प्रस्तुत किया गया। दिनांक 19.7.2024 को को वकील उभयपक्ष की आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सृनी गई। दिनांक 8.8.2028 को वकील वादी व प्रतिवादी की अंतिम बहस सृनी गई। आपत्ति प्रार्थना पत्र को खरिज किया गया। वादी द्वारा दिनांक 8.8.2025 को बहस की गई तथा बटवारा प्रस्ताव के आधार पर विभाजन कराने की प्रार्थना की गई।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अर्जसार वाद पत्र के पेश में वर्णित कृषि मूमि कृषि मूमि ग्राम गीठियाना तहसील अराई के खाता संख्या 244 खसरा नं० 156 रकबा 117 बीघा

02 बिस्वा का वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित तहसीलदार अराई की बंटवारा जांच रिपोर्ट अनुसार आपसी सहमति के आधार पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी (By Mets And Bounds) के बंटवारा प्रस्ताव आधार पर वादीगण का वाद अन्तिम डिकी किया जाता है । तहसीलदार अराई को तहरीर जारी हो। बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम डिकी हेतु विभाजन प्रस्ताव के आदेश जारी किये जाते हैं ।

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा(है.)	किस्म	लगा न	रंग
1.	मीनाक्षीकंवर पत्नि शेरसिंह हि 7182/23325 केलाश कंवर पत्नि कुलदीपसिंह हि 7178/23325 कौम राजपूत सा0देह खातेदार राहिन केलाश कंवर पत्नि कुलदीपसिंह काहि0 बीओबी शाखा अराई राजेन्द्र कंवर पत्नि लक्ष्मणसिंह, मीनाक्षीकंवर पत्नि शेरसिंह का हि0 आइसीआइसीआई बैंक लि0शाखा किशनगढ	156/2	58-06-05	बं0क्षे. 16-17-10 बं0अव्वल 40-08-15	13.40	लाल
2.	बालचन्द पि0भूरा कौम भांभी सा0देह खातेदार	156/3	25-13-05	बं0दो007.08.15 बं0अव्वल 18.04.10	5.90	पीला
3.	भैरूलाल पि0 भूरा कौम भांभी सा0देह खातेदार	156/4	25-13-05	बं0दो007-08-15 बं0अव्वल18-04-10	5.90	नीला
4.	मन्जू पत्नि सत्यनारायण कौम रेगर सा0देह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा अराई	156/1	06-19-05	बं0दो0 02-00-00 बं0अव्वल 04-19-05	1.61	हरा

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 8/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
अराई (अजमेर)